भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.02.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 637 का उत्तर

विशेष रेलगाड़ियां

637. श्री भर्तृहरि महताबः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देशभर में सरकार द्वारा संचालित सुविधा रेलगाड़ियों सहित विशेष रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान ऐसी रेलगाड़ियों में आरक्षित टिकटों के दुरुपयोग के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अब तक ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या ऐसी रेलगाड़ियों का किराया सामान्य ट्रेनों के किराए से अधिक रखा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान ऐसी रेलगाड़ियों से अर्जित लाभ कितना है;

(च) क्या विभिन्न समूहों से ऐसी रेलगाड़ियों में अधिक किराया नहीं वसूलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं और इस तरह के अनुरोधों पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (छ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विशेष रेलगाड़ियों के संबंध में 05.02.2020 को लोक सभा में श्री भर्तृहरि महताब के अतारांकित प्रश्न संख्या 637 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश भर में चलाए जाने वाले विशेष गाड़ी ट्रिपों और सुविधा गाड़ी ट्रिपों (विशेष किराया गाड़ियों सहित) की संख्या निम्नानुसार है:-

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक (लगभग)	अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2019 तक (लगभग)
34237	32145

इसके अलावा, विभिन्न खंडों में विशेष गाड़ियां चलाना एक सतत् प्रक्रिया है और यह दिन-प्रतिदिन आधार पर भिन्न-भिन्न होता है।

(ख) और (ग): आरक्षित टिकटों के दुरुपयोग के मामलों के गाड़ी-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, भारतीय रेलवे ने आरक्षित टिकटों के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

(i) अप्राधिकृत टिकटिंग गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केन्द्रों, बुकिंग कार्यालयों, प्लेटफॉर्मों, गाड़ियों आदि जैसे व्यापक संपर्क क्षेत्रों में नियमित जांच की जाती है। इस प्रकार की जांचें त्यौहारों, छुट्टियों आदि जैसी अधिक भीड़भाड़ वाली अवधि के दौरान गहन कर दी जाती है।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि आद्याक्षर नाम पर टिकटें बुक न की जाएं और आरक्षित टिकटें बुक करवाते समय यात्री का पूरा नाम और जहां-कहीं लागू हो, उसका उपनाम भी लिया जाए।

(iii) आरक्षित श्रेणी में यात्रा करते समय टिकट पर दर्ज यात्रियों में से एक यात्री के पास निर्धारित परिचय प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

(iv) अंतरित आरक्षित टिकटों अर्थात किसी अन्य यात्री के नाम पर वस्तुतः आरक्षित स्थान पर धोखाधड़ी से यात्रा करते पाए गए व्यक्तियों के मामलों का पता लगाने के लिए आरक्षण कार्यालयों में जांच के साथ-साथ गाड़ियों में भी जांच की जाती है।

(v) आरक्षण प्रणाली के संभावित दुरुपयोग पर निगरानी रखने के लिए महत्वपूर्ण पीआरएस स्थलों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन लगाकर आरक्षण कार्यालयों में निगरानी बढ़ाई गई है।

(vi) आम जनता को जन उदघोषणा और मीडिया के जरिए अनैतिक तत्वों से टिकटें न खरीदने और इन स्रोतों से टिकटें खरीदने के परिणामों के बारे में जागरूक किया जाता है।

(घ) और (ड.): व्यस्त मांग अवधि के दौरान अतिरिक्त भीड़-भाड़ को क्लीयर करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की विशेष गाड़ियों को चलाया जाता है:-

विशेष गाड़ियों के प्रकार	किराया
(i) पूर्णतया अनारक्षित (द्वितीय श्रेणी) गाड़ी	(i) अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के लिए सामान्य द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस किराया
(ii) मिश्रित संरचना के साथ पूर्णत: आरक्षित विशेष गाड़ियां।	(ii) (क) द्वितीय श्रेणी (अनारक्षित) : अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के लिए सामान्य द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस किराया। (ख) द्वितीय श्रेणी (आरक्षित): द्वितीय श्रेणी के लिए सामान्य मेल/एक्सप्रेस किराए से 10% अधिक। (ग) अन्य श्रेणियां : विशिष्ट श्रेणी के सामान्य मेल/एक्सप्रेस किराए से 30% अधिक।
(iii) सुविधा स्पेशल	(iii) (क) अनारक्षित द्वितीय श्रेणी: सामान्य सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस किराया । (ख) आरक्षित श्रेणी : बर्थों के प्रारंभिक 20 प्रतिशत के लिए न्यूनतम किराया तत्काल किराया है और उसके बाद तत्काल टिकट के अधिकतम तीन गुना के अध्यधीन 20% सीटों/बर्थ के बाद के स्लैब के लिए किराया बढ़ता है।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि द्वितीय श्रेणी (अनारक्षित) के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बहरहाल, अन्य श्रेणियों के लिए सवारीडिब्बों हेतु निवेश, एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाली रेकों/लोको के चालन, अतिरिक्त गार्डों/लोको पायलटों की व्यवस्था, रेकों की स्टेबलिंग/रखरखाव के लिए विशेष व्यवस्था और कतिपय मामलों में यूनिडायरेक्शनल डिमांड पैटर्न आदि के मद्देनजर अधिक किराया निर्धारित किया गया है। गाड़ी-वार लाभ का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(च) और (छ): विभिन्न मंचों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं और नीति की समीक्षा करना एक सतत और चालू प्रक्रिया है। इस समय, विशेष गाड़ियों के चालन के लिए मौजूदा नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****